राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्
द्वितीय से पंचम तल, ब्लॉक-5, शिक्षा संकुल परिसर,
जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर – 17
फोन नं: 0141–2709114 email : cmsmsa2018@gmail.com फैक्स: 0141–2701822

क्रमांक : रास्कूशिप / जय / सामु.गति. / ब्लॉकस्तरीय / दिशा–निर्देश / 2024–25 / 1373 दिनांक : 5/6/2024

दिशा निर्देश
(सत्र 2024–25)
ब्लॉक स्तरीय आमुखीकरण कार्यशाला

प्रस्तावना :–

राज्य के समस्त ब्लॉक में विद्यालय प्रबंधन समितियों (SMC) / विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समितियों (SDMC) का सशक्तीकरण करने एवं समुदाय को जागरूक बनाने के लिए यह आवश्यक है कि सभी ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों, स्थानीय प्राधिकारियों / जनप्रतिनिधियों एवं एसएमसी / एसडीएमसी के अध्यक्षों को सामुदायिक गतिशीलता के उद्देश्य, महत्व एवं चुनौतियों के बारे में अवगत कराया जाये। इसके अतिरिक्त इनमें से अधिकतर ब्लॉक स्तरीय अधिकारी, स्थानीय प्राधिकारी / जनप्रतिनिधि एवं एसएमसी / एसडीएमसी के अध्यक्ष समुदाय से घनिष्ठ सम्पर्क रखते हैं। वे उनकी समस्याओं एवं आवश्यकताओं के बारे में काफी जानकारी रखते हैं। ऐसे स्थानीय प्राधिकारी / जनप्रतिनिधि एवं एसएमसी / एसडीएमसी के अध्यक्ष कार्यशाला में समुदाय को गतिशील बनाने की विधियों को और अधिक परिष्कृत करने में महत्वपूर्ण सुझाव एवं विचार दे सकते हैं।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के Task No. 198 अनुसार Social Issue and Stigmas पर प्रधानाचार्य, परामर्शदाता और विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाया जाये जिससे मुख्य धारा से अलग–थलग एवं वंचित वर्ग को मुख्य धारा में शामिल किया जाना है एतदर्थ ब्लॉक स्तरीय आमुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया जाये।

स्थानीय परिस्थतियों के कारण उत्पन्न विशिष्ट चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों, स्थानीय प्राधिकारियों / जनप्रतिनिधियों एवं एसएमसी / एसडीएमसी के अध्यक्षों का क्षमता विकास करना। ब्लॉक स्तर पर समुदाय की सहभागिता बढ़ाने में अत्यन्त महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकता है।

RajKaj Ref
7540130

Signature valid
Digitally signed by Suresh Kumar Bunker
Designation : Additional State Project Director
Date: 2024.06.04 1?:24:52 IST
Reason: Approved

समग्र शिक्षा के अन्तर्गत समुदाय की सक्रिय सहभागिता प्राप्त करने हेतु वर्ष 2024–25 में समग्र शिक्षा के सामुदायिक गतिशीलता मद के उपमद सामुदायिक गतिशीलता प्रावधित बजट से ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों, स्थानीय प्राधिकारियों/जनप्रतिनिधियों एवं एसएमसी/एसडीएमसी के अध्यक्षों के साथ ब्लॉक स्तर पर एक दिवसीय आमुखीकरण कार्यशाला का प्रावधान रखा गया है। **उक्त ब्लॉक स्तरीय आमुखीकरण कार्यशाला का आयोजन माह सितम्बर, 2024 तक सम्पन्न कराया जाना है।** ब्लॉक स्तरीय आमुखीकरण कार्य**शाला 50 संभागियों** के लिए है। प्रति संभागी यूनिट कॉस्ट ₹ 174.2235/– रखी गई है। अर्थात 50 संभागियों के लिए ₹ 8711.173/– तक व्यय का प्रावधान रखा गया है।

कार्यशाला में चुने हुए जन प्रतिनिधि यथा – प्रधान, उपप्रधान, पार्षद एवं पंचायत समिति सदस्य आदि संभागी होंगे। इनमें ब्लॉक स्तरीय अधिकारी यथा – खण्ड विकास अधिकारी, उप खण्ड अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी (CBEO), अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी (ACBEO), बाल विकास परियोजना अधिकारी (CDPO), महिला अधिकारिता विभाग के प्रतिनिधि, ब्लॉक के पीईईओ/संस्थाप्रधान /राजकीय उच्च माध्यमिक/उच्च प्राथमिक/प्राथमिक विद्यालय एवं एसएमसी/एसडीएमसी के अध्यक्ष आदि सम्मिलित हैं। इसके अलावा यदि संभागियों की संख्या 50 तक पूरी नहीं हो पाती है तो ऐसी स्थिति में कुछ अन्य ऐसे ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों को भी कार्यशाला में आमंत्रित किया जा सकता है जो कि शिक्षा में प्रत्यक्ष/परोक्ष योगदान दे सकते हैं।

ब्लॉक कार्यशाला पर होने वाले व्यय को निम्नानुसार विभाजित किया जा सकता है–

क्र सं.	विवरण	ब्लॉक स्तर पर 50 संभागियों हेतु व्यय प्रावधान
1.	भोजन 110/– प्रति सम्भागी की दर से	5500
2	जलपान (चाय–नाशता) 25/–रूपये प्रति व्यक्ति	1250
3.	स्टेशनरी 10 रूपये प्रति व्यक्ति	500
4.	संदर्भ व्यक्ति मानदेय–2 संदर्भ व्यक्तियों के लिए ₹ 400/– परियोजना कार्मिक के अतिरिक्त अन्य विशेषज्ञ को आमंत्रित करने पर	800
5.	विडियोग्राफी/फोटोग्राफी/प्रतिवेदन/रिपोर्टिंग	500
6.	कार्यक्रम की व्यवस्था पर होने वाले अन्य विविध व्यय	161.173
	योग	**8711.173**

RajKaj Ref
7548130

Signature valid
Digitally signed by Suresh Kumar Bunker
Designation : Additional State Project Director
Date: 2024.06.04 [illegible]:24:52 IST
Reason: Approved

- उपरोक्त व्यय संभावित है। स्थानीय आवश्यकताओं को देखते हुए कार्यक्रम प्रभारी जिला परियोजना समन्वयक की स्वीकृति से निर्धारित इकाई लागत तक आवश्यक संशोधन कर व्यय कर सकता है। कार्यशाला में निर्धारित इकाई लागत से अधिक व्यय किसी भी स्थिति में नहीं किया जाये।
- कार्यशाला के आयोजन की सम्पूर्ण व्यवस्था जिला स्तर पर जिला परियोजना समन्वयक के नेतृत्व में अति. जिला परियोजना समन्वयक द्वारा एवं ब्लॉक स्तर पर CBEO के नेतृत्व में कार्यक्रम प्रभारी संदर्भ व्यक्ति द्वारा की जायेगी।
- कार्यशाला में भाग लेने वाले विशेषज्ञों/सन्दर्भ व्यक्तियों, जो जिला मुख्यालय से बाहर से आयेंगे, को बस/रेल किराये का भुगतान जिला प्रबन्धन मद से किया जा सकेगा।
- कार्यशाला में परियोजना कार्मिकों के अतिरिक्त आमंत्रित विशेषज्ञों को ₹ 400/- प्रतिदिन मानदेय देय होगा।

<u>कार्यशाला आयोजन हेतु निम्नांकित तैयारियाँ करें</u> :-

1. कार्यशाला के आयोजन हेतु जिला स्तर पर जिला कलेक्टर/मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं ब्लॉक स्तर पर प्रधान/विकास अधिकारी की सहमति से कार्यक्रम की तिथियों का निर्धारण करें।
2. स्थान का चयन, कार्यशाला की आवश्यकता एवं जन प्रतिनिधियों/अधिकारियों की संख्या तथा सुविधा को ध्यान में रखते हुए किया जाये।
3. कार्यशाला के संभागियों का चयन कर समय पर उनको सूचना भिजवाना सुनिश्चित करें।
4. राज्य स्तर पर एसएमसी/एसडीएमसी प्रशिक्षण हेतु तैयार किये गये केआरपी में से दो व्यक्तियों को सदंर्भ व्यक्ति के रूप में नियुक्ति किया जा सकता है।
5. कार्यशाला का समय प्रातः 10 से सायं 05.00 बजे तक होगा।
6. कार्यशाला हेतु जिला परियोजना समन्वयक द्वारा CBEO को लिमिट जारी की जायेगी।
7. कार्यशाला आयोजन के पश्चात् कार्यशाला का कार्यवृत्त/प्रतिवेदन तैयार कर प्रसारित किया जायें तथा कार्यक्रम के आधार पर किये गये निर्णयों/सिफारिशों की क्रियान्विति

नियमों की पूर्ण पालना करते हुये विहित प्रक्रियानुसार किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(सुरेश कुमार बुनकर)
अति. राज्य परियोजना निदेशक–द्वितीय

क्रमांक : रास्कूशिप/जय/सामु.गति./ब्लॉक स्तरीय कार्य./दिशा–निर्देश/2024–25/ 1373 दिनांक : 5/6/2024
प्रतिलिपि :–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है :–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. निजी सचिव, राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
5. निजी सचिव, निदेशक, प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर।
6. निजी सहायक, अति. राज्य परियोजना निदेशक (I & II) राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
7. निजी सहायक, वित्तीय सलाहकार, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
8. उपायुक्त (प्लान), राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
9. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा, समस्त जिला।
10. अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा, समस्त जिला।
11. रक्षित पत्रावली।

अति. राज्य परियोजना निदेशक–द्वितीय

RajKaj Ref
7548130

Signature valid
Digitally signed by Suresh Kumar Bunker
Designation : Additional State Project Director
Date: 2024.06.04 [illegible]:24:52 IST
Reason: Approved

परिशिष्ट– 1

S.N	District	358 Block Level Awareness Year 2024-25 @ Rs.8711.173/- Per Block Target	
		Phy. (District Block)	Fin. (in lakhs)
1	AJMER	11	0.95823
2	ALWAR	16	1.39379
3	BANSWARA	11	0.95823
4	BARAN	8	0.69689
5	BARMER	21	1.82935
6	BHARATPUR	12	1.04534
7	BHILWARA	14	1.21956
8	BIKANER	9	0.78401
9	BUNDI	5	0.43556
10	CHITTAURGARH	11	0.95823
11	CHURU	7	0.60978
12	DAUSA	11	0.95823
13	DHAULPUR	6	0.52267
14	DUNGARPUR	10	0.87112
15	GANGANAGAR	9	0.78401
16	HANUMANGARH	7	0.60978
17	JAIPUR	26	2.26490
18	JAISALMER	7	0.60978
19	JALOR	10	0.87112
20	JHALAWAR	8	0.69689
21	JHUNJHUNU	11	0.95823
22	JODHPUR	22	1.91646
23	KARAULI	8	0.69689
24	KOTA	6	0.52267
25	NAGAUR	15	1.30668
26	PALI	10	0.87112
27	PRATAPGARH (RAJ.)	8	0.69689
28	RAJSAMAND	8	0.69689
29	SAWAI MADHOPUR	7	0.60978
30	SIKAR	12	1.04534
31	SIROHI	5	0.43556
32	TONK	7	0.60978
33	UDAIPUR	20	1.74224
	Total	**358**	**31.186**

RajKaj Ref
7548130

Signature valid

Digitally signed by Suresh Kumar Bunker
Designation : Additional State Project Director
Date: 2024.06.04 [illegible]:24:52 IST
Reason: Approved

हेतु परिपत्र/आदेश का प्रारूप तैयार कर सक्षम स्वीकृति के पश्चात जारी किया जाये। प्रतिवेदन की प्रति परिषद् कार्यालय को भी भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

<u>आमुखीकरण कार्यशाला में निम्नलिखित विषयों पर चर्चा की जा सकती है :–</u>

- विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन, अधिकार एवं कर्त्तव्य।
- आरटीई एक्ट–2009 के मुख्य प्रावधान।
- शिकायत निवारण तंत्र।
- विद्यालय विकास योजना का निर्माण।
- समग्र शिक्षा की विभिन्न गतिविधियों एवं शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए किये जा रहे विभिन्न नवाचार आदि।
- स्वच्छ भारत अभियान में समुदाय एवं अधिकारियों की भूमिका।
- "बेटी बचाओ–बेटी पढ़ाओ" कार्यक्रम में समुदाय एवं अधिकारियों की भूमिका।
- बाल अधिकार।
- मिड–डे–मील।

इसके अतिरिक्त शैक्षणिक रूप से स्थानीय परिस्थितियों के कारण कुछ विशिष्ट चुनौतियां तथा मुद्दे हो सकते हैं। कार्यशाला में चर्चा के दौरान इनको भी अपेक्षित स्थान दिया जाये।

नोट– ब्लॉक स्तरीय कार्यशाला सितम्बर, 2024 तक आवश्यक रूप से सम्पन्न की जाकर अक्टूबर, 2024 तक प्रबन्ध पोर्टल पर प्रविष्टि किया जाना सुनिश्चित करें।

<u>लेखा स्तर पर उल्लेखनीय बिन्दु :–</u>

1. जिस मद के लिए राशि उपलब्ध कराई जा रही है, व्यय उसी मद में ही किया जाये।
2. व्यय राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र निर्धारित प्रपत्र में भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
3. राशि का उपयोग योजना के दिशा–निर्देशों, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार की गाईड लाईन एवं लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 एवं वित्तीय

RajKaj Ref
7548130

Signature valid
Digitally signed by Suresh Kumar Bunker
Designation : Additional State Project Director
Date: 2024.06.04 1?:24:52 IST
Reason: Approved